सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 278/15</u>　　　　　　निर्णय दिनांकः 15.2.2018

1. भीखसिंह पुत्र तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—10—2013
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः—</u>
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के निर्णय दिनांक 18—10—2013 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन् इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियमत्र 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 32 सी.डब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 147/07 की भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 20

प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—10—2013 के विरूद्व अपील विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—10—2013 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

दिनांक 18–11–2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई का न्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. ¸1» अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 32 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 147/07 में भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया। उक्त आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि नियमानुसार 6 माह की अवधि के भीतर–भीतर जमा करवाई जानी अपरिहार्य है।

¸2» अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। जबकि आवंटन नियम 13 ए के तहत यदि आवंटन अवधि के 6 माह की अवधि के भीतर जमा नहीं करवाई जाती है तो आवंटन स्वतः निरस्त है। चूंकि अपीलांट द्वारा आवंटन अवधि के 6 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट का विशेष आवंटन खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू का आदेश दिनांक 18–10–2013 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

¸डॉ0 राकेश कुमार शर्मा»
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर